उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम :- *सिविल वृत्त लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग*

खण्ड का नाम :- *प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग*

<u>*वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव*</u>

<u>*कार्य का नाम*</u> जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत पंयाताल–त्यूंखर–चिरबटिया–लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.00 किमी0

क्षेत्रफल :–

वन पंचायत भूमि	–	0.0000 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	–	0.0000 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	–	1.4000 हेक्टेयर
नाप भूमि	–	0.0000 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	–	**1.4000** हेक्टेयर
वांछित क्षेत्रफल	–	**1.4000** हेक्टेयर

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने के प्रपत्र/प्रमाण पत्र

चैक लिस्ट

परियोजना का नामः–	जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत पंयाताल–त्यूंखर–चिरबटिया– लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.00 किमी0		
क्र.सं	प्रस्ताव का नाम	पेज न0	टिप्पणी
1. मुख्य सलंग्नक			
1.1	सक्षक अधिकारी /आन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	1	
1.2	सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	2	
1.3	मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 के साथ दिखाया गया हो।	3	
1.4	गुगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	4	
1.5	प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	5	
1.6	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकारी अधिनियम 2006 का प्रमाण–पत्र मय सलंग्नकों के(नये प्रारूप में)	6	
1.7	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	7	
1.8	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	8	
1.9	यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वनभूमि अथवा राजस्व वनभूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमिधर होने का प्रमाण–पत्र।	–	लागू नही
1.10	भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीय हुए करार(पी0डी0एफ0)	–	लागू नही
1.11	विस्तृत लागत–लाभ–विश्लेषण प्रमाण पत्र(यदि लागू हो)।	–	–
2 अतिरिक्त सलंग्नक			
2.1	प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता।	9	
2.2	परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	10	
2.3	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।(प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	11	
2.4	वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्ता किये जाने का औचित्य एवं कारण।	12	
2.5	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	13	

2.6	प्रभावित वनभूमि का लैण्ड शैड्यूल(रिजर्व फारेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)	14	
2.7	परियोजना की लम्बाई, चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हे0 में। भूमि विभिन्न वर्ग वाद आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि आदि।	15	
2.8	परियोजना का भूमि उपयोग का बार–चार्ट।(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	16	
2.9	क्षतिपूरक, वृक्षारोपण परियोजना सिविल भूमि पर(10 वर्ष दरें)।	17	
2.10	क्षतिपूरक, वृक्षारोपण वनस्थल उपर्युक्ता प्रमाण–पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	18	
2.11	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को बहन किये जाने का प्रमाण–पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	19	
2.12	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोण का प्राक्कलन।	20	
2.13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	21	
2.14	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र(1 हे0 से कम में लागू)।	22	
2.15	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम(सूची आरिक्षत वनक्षेत्र, सिविल, वन पंचायत एवं निजी भूमि दोनो अलग–अलग बनायी जानी होगी।	23	
2.16	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण पत्र।	24	
2.17	अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।	25	
2.18	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र।	26	
2.19	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना(निर्धारित प्रारूप में)।	27	
2.20	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	28	
2.21	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी0 की परिधि में आता है, तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	—	लागू नहीं
2.22	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है, तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा0 उच्चतम न्यायालय की अनुमति।	—	लागू नहीं
2.23	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र।	29	
2.24	आम–सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	30	
2.25	प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान एवं प्राक्कलन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	31	
2.26	अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण(यदि	—	—

	लागू हो तो)।		
2.27	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र।	32	
2.28	भू–वैज्ञानिक की आख्या।	33	
2.29	टास्क–फोर्स रिपोर्ट।	34	
2.30	मानक शर्तें का विवरण।	35	
2.31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	35	
2.32	टास्क–फोर्स एवं भू–वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।	36	
2.33	धार्मिक / पौराणिक / एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण–पत्र।	37	
2.34	वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	38	
2.35	परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तेल एवं रसोई गैस का प्रमाण–पत्र।	39	
2.36	लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।	40	
2.37	एन0पी0वी0 की देयता का प्रमाण–पत्र।	41	
2.38	मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण–पत्र।	42	
2.39	वनभूमि के लीज रेट का प्रमाण–पत्र।	~~43~~	
2.40	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र।	43	
2.41	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रमाण–पत्र।	44	
2.42	आर0सी0सी0 पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	44	
2.43	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्य सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र(अगर लागू हो)	—	—
2.44	चैक लिस्ट / फैक्ट शीट।	45	

अन्य प्रपत्र — 45-57

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम : **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत पंयाताल–त्यूंखर–चिरबटिया–लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.00 किमी0**

इस मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 748(1) ।।।–2 / 08–42(प्रा0आ0) / 07 दिनांक 17.01.2008 के द्वारा 2.00 किमी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 73.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है (छाया प्रति संलग्न)।

यह मार्ग पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत निर्मित पंयाताल–लौंगा–सकलाना मोटर मार्ग के किमी0 2.00 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होकर ग्राम धनोली तक जायेगा। इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से धनोली के अतिरिक्त अन्य नजदीकी तोकों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। मार्ग के नव निर्माण में 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, 0.000 है0 सिविल भूमि, 1.400 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.000 है0 नाप भूमि पड़ती है। मार्ग के नव निर्माण होने उक्त गांव के साथ–साथ ही लगभग 3000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। मार्ग के नव निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में स्थित अति दूरस्थ गांवों / तोकों को भी यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा स्थानीय उत्पाद जैसे आलू, माल्टा, राजमा आदि को बाजार तक लाने में सुविधा होगी।

अतः मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

भूमि का प्रकार–

वन पंचायत भूमि	–	0.0000 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	–	0.0000 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	–	1.4000 हेक्टेयर
नाप भूमि	–	0.0000 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	–	**1.4000 हेक्टेयर**
वांछित क्षेत्रफल	–	**1.4000 हेक्टेयर**

उक्त प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को **1.4000 है0** वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव राज्य योजना /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में के अन्तर्गत पंयाताल–त्यूंखर–चिरबटिया–लस्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	स्वीकृत लागत = रू0 73.50 लाख मात्र।
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	प्रस्तावित मार्ग द्वारा वन क्षेत्र होते हुए ही सम्बन्धित मार्गो को जोडने हेतु एक मात्र विकल्प है।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	0.001 लाख मानव दिवस।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	0.0000 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि। 0.0000 हैक्टेयर सिविल वन भूमि। 1.4000 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि 0.0000 हैक्टेयर निजी/नाप भूमि
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	
क) परिवारों की संख्या	– शून्य
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	– शून्य
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	– शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही) — ~~नहीं~~ हाँ

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) — संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा। — संलग्न है।

दिनांक 08/01/15

स्थान –रूद्रप्रयाग

(ई0 इन्द्रजीत बोस)
अधीशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रस्ताव की कम संख्या..................

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

पत्रावली 18(A)

संख्या– 748 /III(2)/08–42(प्रा.आ.)/07 टी0सी0

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महादय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0 लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्र सं0–1040/9/08 दिनांक 12–03–08, सं0–1001/(12)गोपेश्वर–पर्व0/08 दिनांक 07–03–08, सं0–1406/9 याता0–पर्व/08 दिनांक 13–03–08, सं0–1036(2)/36(492)याता–पर्व/08, दिनांक 10–03–08, सं0–1402/9 याता0–पर्व/08 दिनांक 13–03–08, सं0–1403/9 याता0–पर्व/08 दिनांक 13–03–08 तथा मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0 अल्मोडा के पत्र सं0–2509/1003 याता0–कुमायूॅ/2008 दिनांक 11–03–08 के कम में एवं शासनादेश सं0– 171/III–2/08–42(प्रा0आ0)/07 दिनांक 17–01–08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 17–01–08 के क0–2 पर उल्लिखित शर्त के कम में उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये 38 कार्यो के आगणनों के कुल लागत रूपये 3785.09 लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 3603.10 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ तीन लाख दस हजार मात्र) की धनराशि की संलग्न विवरण के कॉलम–6 के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें की जा दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य कर लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. उक्त कार्यो में से यदि कोई कार्य या उसका कोई भाग यदि किसी अन्य विभागीय/विभागीय बजट ...

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D
Rudraprayag

10. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

13. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

15. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

17. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

18. शेष सभी शर्ते उपरिउल्लिखित शासनसदेश सं0–171/ ।।।–2/08–42(प्रा0आ0)/07 दिनांक 17–01–08 के अनुसार यथावत रहेंगी।

19. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–377/XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:– 38 कार्यो की सूची।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव।

संख्या– 748 (1)/ ।।।(2)/08–42(प्रा.आ.)/07 टी0सी0।। तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/ कुमॉयू क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव।

Photo copy attested

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D
Rudraprayag

18(C)

शासनादेश संख्या– 748 / III(2)/08–42(प्रा0आ0)/07 टी0सी0 II दिनांक 24 मार्च, 2008 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	शासनादेश सं0 171/III–2/08–42(प्रा.आ.)07 दि0 17.1.08 में कार्य का उल्लिखित क्रमांक	कार्य का नाम (शासनादेश दिनांक 17.01.08 के अनुसार)	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0 सी0 वित्त द्वारा आंकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	1	रूद्रप्रयाग से बांसवाणा, किरोइ जलई, गैर कण्डारा मोटर मार्ग	4.00	147.00	147.00 R(3329/ब)
2	7	जनपद चमोली में दुगड्डा– बरतोली मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	110.25	110.25
3	8	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग – नौटी–किरसाल मोटर मार्ग में खेत गधेरे से खेती–जखेट– चौरासैण तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	183.75	183.75
4	9	जनपद चमोली में गौचर–सिदोली मोटर मार्ग में खालीगाड़ से खरसाई–माठा –ग्वाड़ मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	110.25	110.25
5	10	जनपद चमोली में विछौना मोटर मार्ग का विस्तार/ पुनर्निर्माण	3.00	61.65	61.35
6	11	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग–नैनीसैण–डिम्मर मोटर मार्ग डामरीकरण	3.00	75.60	75.60
7	12	जनपद चमोली में गौचर–शैल–दुवा–कांडा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिव्रर्तन	5.00	61.50	61.50
8	13	जनपद चमोली में उमट्ठा– मौणा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	2.00	24.60	24.60
9	17	देहसदून में राजपुर नागल सहस्त्रधारा मार्ग रिंग रोड़ गार्डर पुल से चालंग गांव का सड़क नव निर्माण	1.50	127.37	118.00
10	23	देहरादून में सर्कुलर रोड़ से वैलहम स्कूल तक सड़क का चौड़ीकरण।	1.46	15.93	13.09
11	45	जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिलोगी – घनशाली मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
12	46	जनपद पौड़ी गढ़वाल में नौठखाल–नांद मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
13	47	जनपद पौड़ी गढ़वाल में ध्वीडखाल–नैरूल मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	70.00	70.00
14	48	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मष्टखाल रैंस मोटर मार्ग का कोठार तक विस्तार	2.00	70.00	70.00
15	49	जनपद पौड़ी गढ़वाल में ढांसी–कडघर मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
16	50	जनपद पौड़ी गढ़वाल में डोबर से पवेख ढौंरी डाबर मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	70.00	70.00
17	51	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मालन नदी	60	97.90	97.44

Photo copy attested

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D
Rudraprayag.

1B(D)

		पर चूना महेड़ा में झूलापुल का निर्माण	मीटर		
18	112	जनपद पौड़ी गढ़वाल में पदमुर–मोटाढांग मुख्य मार्ग उमराव नगर सम्पर्क मार्ग एवं शाखा मार्गों का डामरीकरण	1.00	20.00	20.00
19	118	जनपद पौड़ी गढ़वाल में तड़ियाल चौक से पंचायत घर (शिब्बूनगर) होते हुए नया गॉव में सी.सी. मार्ग व डामरीकरण	2.10	54.98	54.29
20	122	जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार में चौधरी कालोनी से टाटा कॉमर्शियल तक फ्लड नाले का निर्माण	0.500	38.58	36.92
21	152	जनपद रुद्रप्रयाग में पाजणा–चोपडा मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	73.50	73.50 R
22	153	जनपद रुद्रप्रयाग में पैंयाताल– त्यूंखर – चिरबटिया–लसिया मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	73.50	73.50 R
23	156	जनपद रुद्रप्रयाग में जखोली वि०ख० के अन्तर्गत सिद्वसौड़ बजार मार्ग का डामरीकरण	0.20	5.04	5.04 R
24	157	जनपद रुद्रप्रयाग में तिमली(बडमा) से डोबलिया–मरोड़ा– किरोड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.00	73.50	73.50 R
25	158	जनपद रुद्रप्रयाग में तिमली(बडमा) से महादेव मंदिर मोटर मार्ग नव निर्माण	1.00	36.75	36.75 R
26	160	जनपद रुद्रप्रयाग में मयाली–ललूडी–रामाश्रम मोटर मार्ग का नव निर्माण	2.00	73.50	36.75 R
27	161	जनपद रुद्रप्रयाग में कोटी–बड़मा–घटियाली मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	73.50	73.50 R
28	162	जनपद रुद्रप्रयाग में जैली–भरगांव–तेमला मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	73.50	73.50 R
29	80	जनपद देहरादून में ग्राम जामुनवाला के अन्तर्गत 1.1 मुखी हनुमान मंदिर मार्ग को मुख्य मार्ग तक पक्का करना	1.00	15.08	14.56
30	214	जनपद उधमसिंहनगर में देशमित्र फार्म में घोघा नदी में पुल का निर्माण	30 मीटर	132.83	112.56
31	288	जनपद पौड़ी गढ़वाल में बसाड़ा– बूँगां – देवियोंखाल मिसिंग लिंक का निर्माण	5.00	274.26	264.60
31	232	जनपद चमोली में हापला– कलसीर– धोतीधार मोटर मार्ग का निर्माण	4.00	147.00	147.00
32	233	जनपद चमोली में हापला–गुंडम–नैल मोटर मार्ग का निर्माण	3.00 + 40 मीटर स्पान के 02 सेतु	346.85	346.85
33	236	जनपद चमोली में विशालखाल से चमसिल देवी खेत बामनाथ मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	110.25	110.25
34	238	जनपद चमोली में सलना गांव के	60	108.80	103.80

Photocopy attested

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Rudraprayag.

6-17
15-4-08

		पास निगोल नदी पर पैदल पुल का निर्माण	मीटर		
35	339	जनपद चमोली में ग्राम सभा नैल ऐथा में निगोल नदी पर नैलाबाड़ में पैदल पुल का निर्माण	36 मीटर	59.85	59.85
36	149	जनपद देहरादून में नेहरू कालोनी में ए, बी,सी एवं आई ब्लाकों के अन्तर्गत मार्ग/डामरीकरण/नाली निर्माण	4.50	256.95	234.95
37	24	देहरादून में दस्ताना फैक्ट्री नेशविला रोड़ से गन्दे नाले इन्द्रा कालोनी तक सड़क का निर्माण	1.00	25.60	25.60
38	54	जनपद देहरादून में ग्राम जामनवाला नेमी नदी पर मोटर पुल का निर्माण	30 मीटर	275.74	203.00
		योगः–		3785.09	3603.10

(रूपये छत्तीस करोड़ तीन लाख दस हजार मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

पृ० सं० 383/20 याता (अ)/08 दि० 27/3/08

प्रति- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल-क्षेत्र, लो०नि०वि० पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 7/9/12 वां वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर/पौड़ी।
3. प्राविधिक/लेखा वर्ग।
4. गार्ड पत्रावली।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
7 वाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर (चमोली)

पृ०सं० 1195/42 याता-7/08 दि० 8/4/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- अधिशासी अभियन्ता प्रा०/नि०/अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० उत्तरकाशी/बराली/गौचर गोपेश्वर/कर्णप्रयाग/रुद्रप्रयाग को।
2- यातायात/लेखा/प्राविधिक वर्ग/वृत्तीय कार्यालय।

Photo copy attested
Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D
Rudraprayag

अधीक्षण अभियन्ता
7 वाँ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर (चमोली)

11 (A)

ई. मेल :- dforudraprayag @gmail. Com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 - 233505::
पता :- जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

1657
16सी
26-12-14

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 1303 /12सी(2) दिनांक 24-12 - /2014::

15(A)

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
रूद्रप्रयाग।

विषय :- **पयांलात–त्यूंखर–चिरबटिया मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि पत्रावली गठित किये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण के संबंध में।**

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक – 4318 / 16 सी0 दिनांक 20.11.2014।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग, लो0नि0वि0 के कर्मचारी व वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली द्वारा अपने पत्रांक 166 / 12 दिनांक 20.12.2014 के माध्यम से संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की है। जिसकी प्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग।

वन भूमि सहायक

अ. अ. 26/12
24/12

Photo copy attested

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D
Rudraprayag

कार्यालय - वन क्षेत्राधिकारी, दक्षिणी जखोली रैंज,
पत्रांक 166 /12 दिनांक, दिसम्बर 20, 2014

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग

विषय :- मोटर मार्गों के नव निर्माण हेतु वन भूमि प्रस्तावली गठित किये जाने हेतु संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में,

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 832/12-1(2) दि० 20-10/014

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा पत्र लोक निर्माण निर्देशों के अनुपालन में दि० 27-11/014 को लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग के प्रतिनिधि श्री अमितकुमार अवर अभियन्ता व श्री रघुवीरसिंह कार्य अभियन्ता तथा वन विभाग के श्री मोहनलाल वन्दरू बुढ़ना अनुभाग व श्री सुनीलकुमार वन आरक्षी के साथ पयांताल - त्यूखर - चिरबटिया मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण दौरान वर्णित मोटर मार्ग में आने वाले वृक्षों की गणना सूची व व्यासवार प्रजातिवार निम्न प्रकार से संलग्न कर सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है,

क्र०स०	मोटर मार्ग का नाम	संयुक्त निरीक्षण की तिथि	मोटर मार्ग में आने वाले वृक्षों की सं०
1-	पयांताल - त्यूखर - चिरबटिया मोटर मार्ग	27-11/2014	116 वृक्ष

संलग्नक - वृक्षों की गणना सूची व संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रैंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

Photo copy attested

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D
Rudraprayag.

[illegible] /12

संयुक्त निरीक्षण

महोदय

आपके आदेशानुसार एवं श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के पत्रांक 832/12-1(2) दिनांक 20-10-2014 के क्रम में आज दिनांक 27-11-2014 को लो.नि.वि. प्रांतीय खण्ड रुद्रप्रयाग के सहायक अभियन्ता श्री अनिल कुमार द्वारा कार्य अधिकारी श्री रघुवीर सिंह एवं वन दरोगा श्री मोहनलाल व सुनील कुमार वन आरक्षी द्वारा प्रस्तावित [illegible] मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण में आने वाले वृक्षों की गणना सूची संलग्न कर सेवा में प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सहायक अभियन्ता
लो.नि.वि.

(रघुवीर सिंह)
कार्य अधिकारी
लो.नि.वि.

(मोहनलाल)
अनुभाग अधिकारी
वन विभाग

(सुनील कुमार)
वन आरक्षी
[illegible]

प्रमाणित

Photo copy attested

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D
Rudraprayag

1(D)

प्रयोजना- पपालाल तमुआर- चिरवटिया मोटर मार्ग

रेंज का नाम	खण्ड एवं कक्ष सं०	प्रजाति	वृक्ष व्यास श्रेणी									
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	योग
		चीड़	07	16	26	31	16	06	08	02	04	111
		अंयार	—	03	01	—	—	—	—	—	—	04
		सिरस	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
		योग	07	20	29	31	16	06	08	02	04	116 पेड़

(अमित कुमार)
कार्य अभियन्ता
लो० नि० वि०

(रघुवीर सिंह)
कार्य अधिकारी
लो० नि० वि०

(मोहनलाल)
भाग अधिकारी
वन विभाग

(सुनील कुमार)
वन आरक्षी

प्रमाणित

Photo copy attested

Assistant Engineer
Div. P.W.D
Rudraprayag

मोलाल-स्यूंसर चिनवाड़िया मोटर मार्ग (दक्षिणी जखोली रेंज)
नेगा कक्ष सं० 4 / आरक्षित वन में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रायोजित सड़क पर आने वाले वृक्षों की गणना सूची.

क्र.सं	प्रजाति का नाम	व्यास श्रेणी	कॉ.	नॉ.	क्र.सं	प्रजाति का नाम	व्यास श्रेणी	मा.	मा.
1	चीड़	50-60			35-	चीड़	60-70		
2	—उ—	50-60			36-	—उ—	40-50		
3	—उ—	50-60			37-	—उ—	40-50		
4	—उ—	20-30			38-	—उ—	10-20		
5	—उ—	30-40			39-	—उ—	10-20		
6	अयार	20-30			40-	—उ—	30-40		
7	चीड़	20-30			41	—उ—	80-90		
8	—उ—	30-40			42-	—उ—	80-90		
9	—उ—	30-40			43	—उ—	0-10		
10	—उ—	10-20			44-	—उ—	0-10		
11	—उ—	40-50			45-	—उ—	0-10		
12	—उ—	20-30			46-	—उ—	10-20		
13	—उ—	50-60			47-	—उ—	10-20		
14	—उ—	50-60			48	—उ—	10-20		
15	—उ—	20-30			49-	—उ—	30-40		
16	—उ—	30-40			50	—उ—	30-40		
17	—उ—	30-40			51	—उ—	10-20		
18	अयार	10-20			52	चीड़	10-20		
19	—उ—	10-20			53	—उ—	20-30		
20	—उ—	20-30			54	—उ—	10-20		
21	चीड़	20-30			55	चीड़	40-50		
22	सिरस	10-20			56-	—उ—	30-40		
23	चीड़	20-30			57-	—उ—	20-30		
24	—उ—	10-20			58	—उ—	0-10		
25	—उ—	10-20			59	—उ—	40-50		
26	—उ—	20-30			60	—उ—	70-80		
27	—उ—	10-20			61	—उ—	40-50		
28	—उ—	30-40			62	—उ—	10-20		
29	—उ—	20-30			63	—उ—	20-30		
30	—उ—	20-30			64	—उ—	20-30		
31	—उ—	30-40			65	—उ—	80-90		
32	—उ—	30-40			66	—उ—	80-90		
33	—उ—	20-30			67	—उ—	0-10		
34	—उ—	40-50			68	—उ—	30-40		

Photo copy attested

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D
Rudraprayag

क्र.सं.	प्रजाति का नाम	व्यास	का.	गा.	क्र.सं.	प्रजाति	व्यास	भा०	ना०
69.	—”—	30—40			95.	20—30			
70	—”—	30—40			96.	30—40			
71	—”—	20—30			97.	30—40			
72.	—”—	20—30			98.	10—20			
73	—”—	40—50			99.	30—40			
74	—”—	30—40			100	40—50			
75	—”—	20—30			101	40—50			
76	—”—	30—40			102	40—50			
77	—”—	[illegible]			103	30—40			
78	—”—	30—40			104	30—40			
79	—”—	30—40			105.	40—50			
80	—”—	50—60			106	10—20			
81	—”—	30—40			107	10—20			
82.	—”—	30—40			108	20—30			
83	—”—	40—50			109	30—40			
84	—”—	20—30			110	40—50			
85	—”—	70—80			111	30—40			
86	—”—	20—30			112	10—20			
87	—”—	20—30			113	30—40			
88	—”—	40—50			114	20—30			
89.	—”—	20—30			115	60—70			
90	—”—	20—30			116	60—70			
91	—”—	40—50			एक सौ सोलह वृक्ष				
92	—”—	30—40							
93	—”—	30—40							
94	—”—	40—50							

(अमित कुमार)
अवर अभियन्ता
लो. नि. वि.

(रघुवीर सिंह नेगी)
कार्य अधिकर्ता
लो. नि. वि.

(मोहनलाल)
अनुभाग अधिकारी
वन विभाग

(सुनील कुमार)
वन आरक्षी
कुण्ड - I

Photo copy attested

प्रमाणित

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिण जखोली रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Rudraprayag